न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0–03 / 2008–09

देवनंदन पासवान बनाम ललन प्रसाद सिंह वगैरह

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के अतिक्रमण वाद सं0 04 / 1993–94 देव नंदन पासवान बनाम राम चन्द्र सिंह में दिनांक–30.08.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–30.08.2008 को अपील आवेदन द्वारा दाखिल किया गया है।

दिनांक 23.05.2013 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनते हुए, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, विपक्षीगण को सूचना निर्गत किया गया। दिनांक 11.07.2013 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी का कथन है कि :–

1. अतिक्रमण अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ द्वारा अतिक्रमण वाद सं0 4 / 1993–94 में पारित आदेश दिनांक–30.08.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है।
2. अपीलार्थी के पिता स्व0 लखनदास द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के समक्ष अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक 99 दिनांक 14.12.1978 द्वारा अंचलाधिकारी, मोकामा को अग्रसारित कर दिया गया तथा अंचल निरीक्षक, मोकामा द्वारा जाँचोपरान्त अतिक्रमण वाद सं0 4 / 78–79 प्रारंभ किया गया।
3. अपीलार्थी का आरोप है कि प्लॉट सं0 365, खाता सं0 865, थाना सं0 31, जो मौजा–शिवनार, थाना–मोकामा, जिला–पटना में स्थित है, जिसे जो जमींदार द्वारा किसी भी व्यक्ति को बंदोबस्त नहीं किया गया, इसलिए यह लोक भूमि के अन्तर्गत आता है।
4. अंचलाधिकारी, मोकामा के स्तर पर चल रहे अतिक्रमण वाद में विपक्षी सं0 1 के भाई एवं विपक्षी सं0 2 द्वारा अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया कि 31 $\frac{1}{4}$ डी0 जमीन जमींदार द्वारा वर्ष–1938 में हुकुमनामा द्वारा हासिल हुआ है और 11डी0 निर्वंधित वसीका द्वारा वर्ष 1927 में क्रय किया गया है।
5. अंचलाधिकारी, मोकामा द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अतिक्रमण वाद सं0 4178–79 में दिनांक 08.02.1980 को आदेश पारित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि हुकुमनामा जाली है।
6. अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.1980 के विरूद्ध समाहर्ता, पटना के न्यायालय में अपील वाद सं0 19 / 1980–81 संचालित हुआ, जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया और अंचलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार, बाढ़ को प्रतिप्रेषित इस आदेश के साथ किया गया कि विषयांकित मामले को स्वयं जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय।

7. समाहर्त्ता द्वारा प्रतिप्रेषित वाद में उप समाहर्ता भूमि सुधार, बाढ़ ने विविध वाद सं0 04/1993–94 दर्ज किया एवं विपक्षी को सिर्फ सुनकर एवं अपीलार्थी एवं सरकार को बिना सुनवाई के मौका दिए दिनांक 24.11.1993 को विपक्षी के पक्ष में फैसला दे दिया गया। इस आदेश में उल्लेख किया गया कि विवादित जमीन अतिक्रमण के अन्तर्गत नहीं आता है।
8. इस वाद के अपीलार्थी को जानकारी हुआ तो अपीलार्थी द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार, बाढ़ द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन दिया गया, जिसमें संबंधित पक्षों को सूचना निर्गत किया गया।
9. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील वाद सं0–03/2001–02 समाहर्त्ता, पटना के न्यायालय में दाखिल किया गया। समाहर्त्ता द्वारा आदेश दिनांक 02.03.2007 के माध्यम से पुनः उप समाहर्ता भूमि सुधार उप सुधार, बाढ़ को मामला प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर जाँच हेतु निदेश दिया गया :–
   (1) क्या हुकुमनामा सही है?
   (2) क्या मालगुजारी रसीद जो 1950 से 1980 के बीच निर्गत है सही है?
   (3) क्या विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निबंधित बसीका सही है?
10. पुनः उप समाहर्ता भूमि सुधार, बाढ़ द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस कर सुना गया एवं दिनांक–30.08.2008 को आदेश पारित कर पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये बिना विपक्षियों के पक्ष में निर्णय दे दिया गया। इस प्रकार उप समाहर्ता भूमि सुधार, बाढ़ का पारित आदेश निरस्त करने योग्य है।

सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि :–

1. इस मामले में मूल विपक्षियों के स्वर्गीय होने के कारण उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।
2. खतियान में भूमि गैरमजरूआ मालिक दर्ज है।
3. इस मामले मे पारित पूर्व के आदेशों एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षियों द्वारा सादा हुकुमनामा के आधार भूमि पर दावा किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। साथ ही इस मामले में वर्ष–1927 में केवाला द्वारा भी भूमि प्राप्त किया गया है।
4. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के अतिक्रमण वाद सं0–04/1993–94 में दिनांक–30.08.2008 को पारित आदेश में उल्लेखित किया गया है कि चूंकि भूमि मकानमय सहन है, अतः इसका लगान रसीद नहीं कटता है।
5. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विषयांकित भूमि की जमाबंदी दर्ज है या नहीं, यह बिन्दु स्पष्ट नहीं है।
6. अपील वाद सं0–03/2001–02 में दिये गये निदेश के आलोक में हुकुमनामा की जाँच किया गया हो, यह स्पष्ट नहीं है, निबंधित बसीका की जाँच किया गया हो, यह स्पष्ट नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ उल्लेखित करते हैं कि जमींदार द्वारा जमींदारी रिटर्न जमा नहीं करने के कारण हुकुमनामा की वैधानिकता की जाँच करना सम्भव नहीं है। साथ ही उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दिनांक–01.01.1941 के पूर्व किसी रैयत के पक्ष में किया गया निबंधित केवाला वैध माना गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा प्रस्तुत केवाला के वैधता की जाँच निबंधन कार्यालय द्वारा नहीं करायी गयी है।
7. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ अपने दिनांक–30.08.2008 के आदेश में स्वयं उल्लेखित करते है कि गैर–कृषि भूमि के हुकुमनामा का निबंधन अनिवार्य था, जो कि नहीं किया गया है।

8. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक–30.08.2008 में 30 वर्षों के Adverse Possesion को आधार माना गया है, जिसके लिए वे सक्षम प्राधिकार नहीं हैं।

विपक्षीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13354/2014 में दिनांक–31.07.2017 को पारित आदेश की प्रति इस न्यायालय को समर्पित कर उल्लेखित किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ द्वारा दिनांक–30.08.2008 को पारित आदेश वैध है और विषयांकित भूमि पर उनका दखल नियमसम्मत् है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13354/2014 में दिनांक–31.07.2017 को पारित आदेश में विगत 40 वर्षों से चल रहे अतिक्रमण वाद को अकारण चलना माना गया है।

अभिलेख परिशीलन, अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन किये बिना आदेश पारित किया गया है और सरकारी भूमि के संरक्षण तथा सरकार के हित को प्रमुखता नहीं दिया गया है। साथ ही निम्न बिन्दु जो विचारणीय हैं, के मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के आदेश दिनांक–30.08.2008 में तथ्य स्पष्ट नहीं है :–

1. आवासीय भूमि 31.25 डी0 का अनिबंधित हुकुमनामा किस आधार पर वैध माना गया।
2. 11 डी0 भूमि के केवाला की जाँच निबंधन कार्यालय से नहीं किया गया है।
3. Adverse Possesion को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ द्वारा आधार माना जाना नियमसम्मत् प्रतीत नहीं होता है।
4. मामले में सन्निहित भूमि की जमाबंदी दर्ज है अथवा नही, यह स्पष्ट नहीं है और विधिवत् लगान निर्धारण हुआ है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
5. क्या गैरमजरूआ मालिक भूमि बिना विधिवत् लगान निर्धारण किये और विधिवत् जमाबंदी दर्ज किये किसी व्यक्ति के गैरमजरूआ मालिक भूमि के दखल को वैधानिक माना जा सकता है, का उत्तर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के आदेश में नहीं है।

उक्त विवेचना के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ के अतिक्रमण वाद सं0–04/1993–94 में दिनांक–30.08.2008 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और मामले की भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़ को पुनः प्रतिप्रेषित कर उन्हे आदेश दिया जाता है कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त उल्लेखित तथ्य एवं इस मामले में उपर्युक्त अनुचरीत तथ्यों के आलोक में भूमि के स्थलीय जाँच पश्चात् बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम अन्तर्गत विधिसम्मत् कार्रवाई की जाय और विधिमान्य तरीके द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय।

इसी के साथ अपील आवेदन को निस्तारित करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।